संख्या-114/2016/1775/41-2016-462 सा0/13

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन, उ0प्र0

लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 02 नवम्बर, 2016

विषय- नवीन पर्यटन नीति-2016 एवं हेरिटेज पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों/होटलों/हेरिटेज होटलों को सहायता हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-983/15-1-838 (20)/ट्रै0ट्रे0/2016, दिनॉक 06-10-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नवीन पर्यटन नीति-2016 एवं हेरिटेज पर्यटन नीति के अन्तर्गत पर्यटन इकाईयों/होटलों/हेरिटेज होटलों की आर्थिक सहायता हेतु अनुपूरक मांग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यवस्थित धनराशि रू0 25.00 करोड को (रू0 पच्चीस करोड मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उ0प्र0 पर्यटन नीति-2016 एवं हेरिटेज पर्यटन नीति के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित इकाईयों/होटलों/हेरिटेज होटलों से समुचित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात ही नियमानुसार शासन की पूर्व अनुमति से किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं बजट मैनुअल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा और जहां कही भी आवश्यक है तो व्यय किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायेगी।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। यह भी सुनिश्तिच किया जायेगा कि जिन पर्यटन इकाईयों/होटलों/हेरिटेज होटलों को सहायता प्रदान की जायेगी, उन्हें इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का सुसंगत व्यय-विवरण की सूचना व उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

3- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्षक-3452-पर्यटन-आयोजनेत्तर-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-पर्यटन सूचना और प्रचार-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2016 बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-114/2016/1775(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
5- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
6- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।